फा. सं. 11013/2/2014-स्था.क-।।।
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-।।। डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 5 मई, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 16.04.2015 को हुई बैठक-कार्यवृत्त को अग्रेषित करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को सूचना और उपयुक्त कार्रवाई के लिए दिनांक 16.04.2015 को हुई बैठक के कार्यवृत्तों की प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक (स्थापना)
दूरभाष: 2309 3176

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

सेवा में,

1. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव (मानक सूची के अनुसार)
2. सभी मंत्रालयों/विभागों की शिकायत समितियों के अध्यक्ष (मानक सूची के अनुसार)

प्रेषित :

1. निदेशक (स्थापना ।)
2. सचिव (पी) के पीएसओ
3. संयुक्त सचिव (स्थापना) के निजी सचिव

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 16.04.2015 को प्रात: 11:00 बजे हुई बैठक-कार्यवृत्त को अग्रेषित करने के संबंध में।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था। मंत्रालयों/विभागों में गठित शिकायत समितियों के अध्यक्षों को इसमें आमंत्रित किया गया था। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है।

2. डीओपीटी में संयुक्त सचिव (स्थापना) [सं.स. (स्था.)] ने दिल्ली तथा बाहर स्थित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इस बैठक का प्रयोजन यह है कि जब से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न से संबंधित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक विशाखा निर्णय के आलोक में शिकायत समितियों का गठन किया है तब से इस मुद्दे पर पर्याप्त रूप से विचार-विमर्श नहीं किया गया है। यह बैठक शीर्ष न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति की समीक्षा करना चाहती है। संयुक्त सचिव(स्था.) ने समय-समय पर जारी किए गए विभिनन दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2013 [एसएचडब्ल्यूडब्ल्यू (पीपीआर) अधिनियम] को 22.04.2013 को प्रख्यापित किया गया था तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को दिसंबर, 2013 को अधिसूचित किया गया था। केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 तथा केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियमावली, 1965 अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधन किए गए थे।

3. इस मुद्दे पर सभी लागू दिशा-निर्देशों एवं नियमों पर विभाग में निदेशक (स्थापना) द्वारा एक प्रस्तुतीकरण किया गया था। प्रस्तुतीकरण में विशाखा मुद्दे में शीर्ष न्यायालय के दिशा-निर्देश, आचरण नियमावली के पूर्व प्रावधान तथा नवंबर, 2014 में किए गए संशोधनों को शामिल किया गया था। प्रस्तुतीकरण के दौरान दिनांक 27.11.2014 एवं 02.02.2015 के कार्यालय ज्ञापनों द्वारा जारी किए गए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशा-निर्देशों की ओर भी प्रतिभागियों का ध्यान आकर्षित किया गया था जिसमें आंतरिक शिकायत समितियों का गठन करने तथा कार्यसंचालन संबंधी मौजूदा प्रावधानों का संक्षेपण किया गया था।

4. प्रस्तुतीकरण के समापन पर, सं.स.(स्था.) ने प्रतिभागियों को समितियों के अध्यक्ष के रूप में अपने-अपने अनुभवों को साझा करने, तथा इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण, यदि कोई हो मांगने के लिए आमंत्रित किया था । प्रतिभागियों ने इस बैठक को बुलाने के लिए सचिव (कार्मिक) द्वारा की गई पहल की अत्यंत सराहना की। उन्होंने अधिनियम की मुख्य विशेषताओं संबंधी विचार-विमर्श जैसे कि

शिकायमों को अनुशासनिक प्राधिकारियों को भेजने की आवश्यकता ताकि नियमावली में निर्धारित की गई जांच की प्रक्रिया के गैर-अनुपालन से बचा जा सके, तथा शिकायत झूठी पाई जाने पर कार्रवाई के लिए प्रावधान होने को अत्यंत सहायक पाया था। प्रतिभागियों ने यह जानना चाहा था कि क्या समितियों के अधिदेश को बढ़ाया जा सकता है ताकि महिला कर्मचारियों की सामान्य चिंताओं को भी दूर किया जा सके।

5. इस अवसर पर अध्यक्ष ने सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बुलाए गए एक सम्मेलन में अपनी संलग्नता के संबंध में अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने उल्लेख किया कि उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रयासों को और अधिक सघन किए जाने की आवश्यकता है ताकि समय-समय पर शुरू किए गए विभिन्न कल्याणकारी उपाय वास्तविक रूप से महिला कार्मिकों तक पहुंचे। उन्होंने उल्लेख किया कि विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला कार्मिकों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि जबकि विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर अधिकांश परीक्षाओं के परिणाम बालिकाओं की विशिष्ट उपलब्धि को दर्शाते हैं, फिर भी कार्यबल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता निराशाजनक हद तक न्यून रही है। उन्होंने महिलाओं के लिए कार्य करने के परिवेश को और अधिक सहायक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया क्योंकि यद्यपि प्रतिनिधित्व की उनकी प्रतिशतता इस आचरण में न्यून है, फिर भी आने वाले वर्षों में इसके बढ़ने की संभावना है। आंतरिक शिकायत समिति के दायरे को बढ़ाने के संबंध में प्रतिभागियों द्वारा की गई सामान्य टिप्पणियों के संबंध में सचिव (कार्मिक) ने यह उल्लेख किया कि ऐसी समितियां जिनकी बैठकें नियमित आधार पर होनी अपेक्षित हैं, में सामान्य परामर्श हेतु महिला कर्मियों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि समितियां कुछ सामान्य मुद्दों जैसे बालचर्या अवकाश प्रदान करने की देखरेख कर, महिलाओं हेतु प्रशिक्षण में प्रतिनिधित्व को बढ़ा कर, शौचालय, शिशु सदन महिला कर्मचारी कक्ष आदि आधरभूत सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति पर ध्यान देकर कार्य के वातावरण को और अधिक अनुकूल बना कर सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह वह समय है जब समितियों के अध्यक्ष यह महसूस करें कि उनकी अध्यक्षता वाली शिकायत समितियां पर्याप्त रूप से सशक्त हैं और उनके द्वारा और अधिक कार्य किया जा सकता है।

6. चर्चा के दौरान, निदेशक (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में समिति के अध्यक्ष ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में इस समिति को महिला कल्याण समिति कहा जाता है क्योंकि यह महिला कर्मचारियों के कल्याण सहित उनकी सभी प्रकार की समस्याओं और शिकायतों का समाधान करती है। उन्होंने बताया कि समिति, पिछले तीन वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आधे दिन की कार्यशाला आयोजित कर रही है, जिसे महिला कर्मचारियों से पर्याप्त समर्थन मिला है, क्योंकि इसने एक ऐसा प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया है, जहां महिला कर्मचारियों के समक्ष अवरोध उत्पन्न करने वाले सभी मुद्दों का समाधान करने का प्रयास किया जाता है।

7. शिशु सदन (क्रेच) के मुद्दे पर, कुछ प्रतिभागियों ने सचिव (कार्मिक) से अनुरोध किया कि वे और अधिक भवनों में शिशु सदन बनावाने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्मिकों को निर्देश दें। सचिव (कार्मिक) ने विश्वास दिलाया कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन संबंधित विभागों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने उन्हें अपने भवनों में जगह चिन्हित करने की संभावना त्लाशने की सलाह दी ताकि अधिक से अधिक स्थानों पर शिशु सदन खोले जा सकें।

8. प्रतिभागियों ने महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए संशोधित किए गए नियमों के संबंध में पुरूष कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रतिभागियों ने इस विषय को आईएसटीएम और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करने और अधिक से अधिक पुरूष कर्मचारियों को लिंग संवेदीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता का समर्थन किया। संयुक्त सचिव (ई) ने उल्लेख किया कि लिंग संवेदीकरण पहले से ही आईएसटीएम और अन्य प्रशिक्षण अकादमियों द्वारा संचालित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों और माड्यूलों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि समितियों को, विशेष रूप से नई भर्ती वाली महिला कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से चर्चा कर जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करने चाहिए ताकि उनमें आत्मविश्वास की भावना विकसित हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि केवल नियमित चर्चा से यह अभिनिश्चित किया जा सकता है कि उनके द्वारा किन समस्याओं का सामना किया जा सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि शिकायत समितियां, यदि महिला कर्मचारियों के प्रति अपनी इस जिम्मेदारी में कमी महसूस करती हैं तो वे अपने स्तर पर मंत्रालय/विभाग के प्रशासन को दिशानिर्देश, यहां तक कि अनुदेश भी जारी कर सकती हैं। कई प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए कुछ अन्य आम मुद्दे, समितियों के सदस्यों और साथ ही एनजीओ/अन्य प्राधिकरणों के सदस्यों को यात्रा भत्ता, मंहगाई भत्ता देने से संबंधित थे। उन्हें भी स्पष्ट किया गया।

9. सचिव (कार्मिक) ने प्रतिभागियों को यह सुझाव दिया कि वे किसी अन्य मामले में अपनी शंका के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पदाधिकारियों को पत्र लिख कर उनका उत्तर तथा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जाएं ताकि प्रतिभागी, शिकायत समितियों के कर्मचारी के रूप में एक-दूसरे के अनुभवों से लाभ उठा सकें। उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार एक आदर्श नियोक्ता की अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा महिला कर्मचारियों को एक सुरक्षित और अनुकूल कार्यस्थल उपलब्ध करवाना उसके इसी संकल्प का हिस्सा है। उन्होंने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि इन समितियों को अपनी भूमिका और बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि हम उस आदर्श स्थिति को प्राप्त कर सकें जहां महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न की कोई घटना न घटे।

10. अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

अनुबंध

सचिव (कार्मिक) की अध्यक्षता में दिनांक 16.4.2015 को आयोजित बैठक में उपस्थित सहभागी।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम तथा पदनाम (सुश्री)	मंत्रालय/विभाग
1.	रश्मि गोयल, संयुक्त सचिव	गृह मंत्रालय
2.	सुजशा चौधरी, उप सचिव	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
3.	सुमन सुचिता बारा, उप सचिव	संसदीय कार्य मंत्रालय
4.	राखी गुप्ता भंडारी, निदेशक	जल संसाधन मंत्रालय, जीआर एंड आरडी
5.	त्रिशलजीत सेठी	डाक विभाग
6.	विषु मैनी, उप महानिदेशक	जनजाति कार्य मंत्रालय
7.	ए. राधा रानी	शहरी विकास मंत्रालय
8.	प्रवीण गुप्ता	भारी उद्योग विभाग
9.	अमरजीत कौर, एडीजी	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम, कार्यान्वयन मंत्रालय
10.	मंजुला मेहता	नागर विमानन मंत्रालय
11.	वीणा टमटा भाटिया	जैव प्रौद्योगिकी विभाग
12.	रश्मि सिन्हा	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
13.	जी. शशिकला	आईजीसीएआर - कलपक्कम, परमाणु ऊर्जा विभाग
14.	इषिता राय, संयुक्त सचिव	उच्चतर शिक्षा विभाग
15.	ज्योति पाहवा, अवर सचिव	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
16.	शोभा टी एस, निदेशक	अंतरिक्ष विभाग
17.	देबजानि चक्रबर्ती, उप सचिव	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
18.	श्री थंगमलीयन, निदेशक	युवाकार्य और खेल मंत्रालय
19.	एल. इन्दुमती, संयुक्त सचिव	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
20.	अनिता चौहान, संयुक्त सचिव	विनिवेश विभाग
21.	सहेली घोष, निदेशक	व्यय विभाग
22.	रोजी शर्मा	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
23.	डॉ. आर. दालवानी, सलाहकार	पर्यावरण वन एवं सीसी मंत्रालय
24.	वंदना जैन, निदेशक	कृषि विभाग
25.	मीना शर्मा, उप सचिव	
26.	अन्ना राय, निदेशक	डीएफएस
27.	एस. के. शाही, निदेशक	कोयला मंत्रालय
28.	श्री ए. के मिश्रा, अवर सचिव	संघ लोक सेवा आयोग
29.	श्री राजीव किशोर, पूर्व निदेशक	रेल मंत्रालय
30.	जयश्री शिवकुमार, अवर सचिव	वस्त्र मंत्रालय
31.	मीनाक्षी मेहता	पर्यटन मंत्रालय
32.	प्राकृत श्रीवास्तव	राजस्व विभाग
33.	अनिता सील, अवर सचिव	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
34.	अंजू भल्ला, निदेशक	ऊर्जा मंत्रालय